झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक पुनरीक्षण - 1520/2023

साधन नंदी, पिता अमर नंदी, निवासी वार्ड संख्या 16, देवीपु, मंगलबाड़ी, डाकघर - मंगलबाड़ी, थाना - मालदा, जिला - मालदा (पश्चिम बंगाल) ....**याचिकाकर्ता**

-बनाम-

झारखंड राज्य ..... **प्रतिपक्ष**

न्यायालय : माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता
सुश्री सविता कुमारी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री पंकज कुमार मिश्रा, एपीपी

04/16.02.2024 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान एपीपी उपस्थित हैं।

2. तालझारी थाना कांड संख्या 38/2023 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 02.11.2023 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत पंजीकरण संख्या डब्ल्यूबी-59सी/8906 वाले ट्रक को मुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया गया है।

3. इस आपराधिक पुनरीक्षण के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि अभियोजन मामले के अनुसार सूचक/अंचल अधिकारी, तालझारी ने 27.05.2023 को औचक छापेमारी की, जिसमें उन्हें सूचना मिली कि मौजा बेकचुरी के पास मेसर्स मो. समीम स्टोन वर्क्स मौजा बेकचुरी के 3 एकड़ और 2 कट्ठा क्षेत्र में प्लॉट संख्या 27 में स्टोन क्रशर मशीन चला रहा है। याचिकाकर्ता के पास खनन विभाग द्वारा जारी डीलर पंजीकरण फॉर्म-बी भी है, जिसका पंजीकरण संख्या J062021777 28.06.2022 तक वैध है और प्रदूषण विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी 31.03.2024 तक वैध है, लेकिन सदस्य सचिव, जेएसपीसीपीबी, रांची द्वारा पत्र संख्या 717 दिनांक 10.04.2023 के तहत "इकाई का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने" का आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर उसे कुचलकर

पत्थर के चिप्स तैयार किए जा रहे थे। छापेमारी के समय ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर WB25E 0749 पर 900 घन फीट पत्थर के चिप्स लदे पाए गए, इसका चालक नीतीश कुमार यादव था। मांगने पर उसके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। इस ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। उस कार्य में अन्य वाहन भी शामिल थे, जिसका विवरण भी अनुसूची में दिया गया है। क्रमांक 4 पर ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर WB59C 8906 खाली दिखाया गया है और उसे भी जब्त कर लिया गया। लगाए गए आरोपों के मद्देनजर तालझारी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 379, 411 और 188, जेएमएमसी नियम, 2004 की धारा 4/54, झारखंड खनिज परिवहन एवं भंडारण नियम, 2017 की धारा 07/09 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21(1), 21(6) के तहत कांड संख्या 38/2023 दर्ज किया गया।

4. ट्रक पंजीकरण संख्या WB59C 8906 के मालिक ने उक्त ट्रक को मुक्त करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि वह जब्त ट्रक का वास्तविक मालिक है, जो वाणिज्यिक वाहन है और उसे पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है, इसलिए उसे दिन-प्रतिदिन भारी नुकसान हो रहा है। वह वचन देता है कि वह न्यायालय के निर्देशानुसार उसी वाहन को प्रस्तुत करेगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत देने के लिए भी तैयार और इच्छुक है।

5. जिला विधिक प्रकोष्ठ शाखा, साहिबगंज के प्रभारी अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी अधिकारी, तालझारी पुलिस स्टेशन को संबोधित दिनांक 31.10.2023 को जारी रिपोर्ट रिकॉर्ड में है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के वाहन सहित अपराध में शामिल वाहनों की जब्ती की कार्यवाही, जिसका पंजीकरण संख्या WB59C 8906 है, अभी भी लंबित है।

6. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उक्त वाहन की रिहाई के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि जब्ती की कार्यवाही लंबित थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आपराधिक अपील संख्या 524/2019 दिनांक 26.03.2019 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया।

7. विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण का निर्देश इस आधार पर दिया गया कि आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में गलत है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी लागू नहीं था। यह भी कहा गया है कि झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण

की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम में उक्त वाहन को छोड़ने पर कोई रोक नहीं है, हालांकि झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 की धारा 11 के तहत जब्ती की कार्यवाही उपायुक्त को जब्ती की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है; फिर भी वाहन को छोड़ने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है।

8. राज्य के विद्वान एपीपी ने इस आधार पर विवादित आदेश का बचाव किया है कि विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, तथा विधिक प्रकोष्ठ शाखा, साहिबगंज से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जब्ती लंबित थी, अतः विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिहाई आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है।

9. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान एपीपी को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

10. यहां **झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017** का **नियम 11** निम्नानुसार पुनरुत्पादन के लिए प्रासंगिक हो जाता है:

> "11. तलाशी, जब्ती और जब्ती.- (i) निम्नलिखित अधिकारियों को खदान या अन्य स्रोत या भंडारण से खनिज/अयस्क ले जाने व किसी भी स्थान/ट्रक/ अन्य वाहन को रोकने, जांचने, तलाशी लेने और सत्यापन करने तथा नीचे निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर आवश्यकतानुसार जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया है:

(i)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त, खान	सम्पूर्ण राज्य में
(i)	खान निदेशक	सम्पूर्ण राज्य में
(iii)	अतिरिक्त खान निदेशक	-do-
(iv)	खान उपनिदेशक	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में
(v)	जिला कलेक्टर/उपायुक्त	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में
(vi)	जिला/सहायक खनन अधिकारी	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में
(vii)	उपविभागीय मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र/जिले में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकार क्षेत्र के भीतर
(viii)	खनन निरीक्षक	-do-
(ix)	प्रभारी चेक-गेट	-do-

खनन पट्टेदार/डीलरों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहक ऐसे निरीक्षण के लिए सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करें।

(ii) डीलर/पट्टेदार किसी सक्षम प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी को उस स्थान का निरीक्षण करने की अनुमति देगा, जहां खनन, भंडारण और प्रसंस्करण इकाई मौजूद है, ताकि अयस्क और खनिजों के स्टॉक का सत्यापन किया जा सके और उनके द्वारा बनाए गए अभिलेखों से नमूना या सार लिया जा सके।

(iii) प्रत्येक डीलर सक्षम प्राधिकारी या निदेशक, खान/आयुक्त, खान या सचिव, उद्योग, खान और भूतत्व विभाग, झारखंड द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को उस परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की अनुमति देगा, जहां खनिज रखा या संग्रहीत किया जाता है। ऐसे डीलर के लिए लिखित रूप में वांछित दस्तावेजों का निरीक्षण और लिखित रूप में निर्देशित जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) इन नियमों के अंतर्गत जब्ती करने वाला प्रत्येक अधिकारी जब्त किए गए खनिजों, औजारों, उपकरणों, वाहनों या किसी अन्य वस्तु की सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने हस्ताक्षर के साथ उस व्यक्ति को देगा जिसके पास ऐसे खनिज पाए जाते हैं। ऐसा अधिकारी जब्त की गई संपत्ति को उचित आधिकारिक मुहर और विस्तृत जानकारी के साथ उचित अभिरक्षा में रखेगा।

(v) जब्त किए गए किसी भी खनिज, औजार, उपकरण, वाहन या किसी भी वस्तु को संबंधित जिले के उपायुक्त के न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकेगा और ऐसे न्यायालय के निर्देशानुसार उसका निपटान किया जाएगा।

11. झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के **नियम 11(v)** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि संबंधित जिले के उपायुक्त के न्यायालय को खनिज, औजार, उपकरण, वाहन या जब्त की गई किसी भी वस्तु के संबंध में जब्ती की कार्यवाही करने का अधिकार है, तथापि संबंधित जिले के उपायुक्त के न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। **झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 11** में या उक्त नियमावली के किसी अन्य नियम में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करके वाहन को मुक्त करने के लिए दंड न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं है। परिणामस्वरूप, दंड न्यायालय को वाहन की रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार दिया गया,

क्योंकि नियमों में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं किया गया है। जब्ती की कार्यवाही का लंबित होना वाहन की रिहाई के लिए आवेदन के निपटान में बाधा नहीं है। निम्न विद्वान न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, **आपराधिक अपील संख्या 524/2019 दिनांक 26.03.2019 में (2020) 12 एससीसी 733** में रिपोर्ट की गई, जिसमें वाहन की रिहाई के आवेदन को खारिज कर दिया गया। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है क्योंकि **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के तहत शुरू की गई जब्ती और जब्ती की कार्यवाही से निपटा था। वन अधिनियम, 1927 की धारा 52-सी के तहत, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विशिष्ट प्रतिबंध है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण (धारा 52, 52-ए और 52-बी में निर्दिष्ट अधिकृत अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और सत्र न्यायालय के अलावा) के पास संपत्ति के कब्जे, वितरण, निपटान या वितरण के संबंध में आदेश देने का अधिकार नहीं होगा, जिसके संबंध में धारा 52 के तहत जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई है। इसलिए, निम्न विद्वान न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करके अपीलकर्ता के रिहाई आवेदन को खारिज करने का फैसला किया है।

12. चूंकि इस प्रावधान में कोई रोक नहीं है, इसलिए विद्वान न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के मद्देनजर उक्त वाहन के स्वामित्व का सत्यापन करने के बाद वाहन को छोड़ने का अधिकार है और विद्वान विचारण न्यायालय पर यह भी दायित्व है कि वह मामले के लंबित रहने के दौरान उक्त वाहन को किसी को हस्तांतरित न करने के संबंध में शर्त लगाए और वाहन के पंजीकृत मालिक से यह वचन भी ले कि जब और जहां उक्त वाहन की आवश्यकता हो, वह उसे अन्य उचित और उचित स्थिति के साथ प्रस्तुत करे।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य" (2002) 10 एससीसी 283 में वाहन को छोड़ने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं:

> **"पैरा 5.** धारा 451 स्पष्ट रूप से न्यायालय को ऐसी संपत्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार देती है, जैसे: (1) जांच या परीक्षण के समापन तक उचित अभिरक्षा के लिए;
> **(2)** इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश देने के लिए, ऐसे साक्ष्य दर्ज करने के बाद जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(3) यदि संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, तो उसका निपटान करना।

पैरा 7. हमारे विचार में, धारा 451 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग शीघ्रता और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, जैसे:

1. वस्तु के मालिक को इसके अप्रयुक्त रहने या इसके दुरुपयोग के कारण नुकसान नहीं होगा;

2. न्यायालय या पुलिस को वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं होगी;

3. यदि वस्तु का कब्जा सौंपने से पहले उचित पंचनामा तैयार किया जाता है, तो उसे परीक्षण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य भी दर्ज किया जा सकता है जिसमें संपत्ति की प्रकृति का विस्तृत विवरण हो; तथा

4. साक्ष्य दर्ज करने के न्यायालय के इस अधिकार क्षेत्र का तुरन्त प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना न रहे।

पैरा 13. इस प्रयोजन के लिए न्यायालय धारा 451 सीआरपीसी के तहत आवश्यक समझे जाने वाले साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। बांड और सुरक्षा इस तरह ली जानी चाहिए ताकि साक्ष्य खो न जाए, बदल न जाए या नष्ट न हो जाए। न्यायालय को यह देखना चाहिए कि ऐसी वस्तुओं की तस्वीरें शिकायतकर्ता, आरोपी के साथ-साथ जिस व्यक्ति को हिरासत सौंपी गई है, उसके द्वारा सत्यापित या प्रतिहस्ताक्षरित की गई हों। फिर भी, धारा 451 सीआरपीसी के तहत न्यायालय का यह कार्य होगा कि वह कोई अन्य उचित शर्त लगाए।

पैरा 17. हमारे विचार में, चाहे जो भी स्थिति हो, ऐसे जब्त वाहनों को लंबे समय तक पुलिस थानों में रखने का कोई फायदा नहीं है। मजिस्ट्रेट को उचित बांड और गारंटी के साथ-साथ किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उक्त वाहनों की वापसी के लिए सुरक्षा लेकर तुरंत उचित आदेश पारित करना चाहिए। यह ऐसे वाहनों की वापसी के लिए आवेदनों की सुनवाई लंबित रहने तक किया जा सकता है।"

14. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का केस लॉ, जिस पर विद्वान न्यायालय ने भरोसा किया था, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

15. तदनुसार, इस आपराधिक पुनरीक्षण को अनुमति दी जाती है और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर और **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की रिहाई के आवेदन को नए सिरे से निपटाने के लिए मामला नीचे के विद्वान न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।